

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(4)/पदो./अभि/24/ जयपुर, दिनांक:

आदेश

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं. 27(3)(4)/पदो./अभि/2024/ दिनांक 06.12.2024 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री सुल्तान सिंह को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर, निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/23/855-934 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा पदोन्नति पर इनका पदस्थापन उप निदेशक अभियोजन, बाडमेर में किया गया था। श्री सुनील कुमार द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति परित्याग का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति परित्याग (**forgo**) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
03. उप निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर/बाडमेर।
04. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:-सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
05. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर